

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 9 अक्टूबर, 2025

विषय: सूडान में उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत सूडान से वापस आने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-677/सी0आर0ए0/द्वैतीय आपदा-यूक्रेन बजट/2025-26, दिनांक 22.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूडान से वापस आने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उनके गंतव्य तक भेजे जाने हेतु विभिन्न परिवहन के साधनों में हुए व्यय के सापेक्ष अवशेष रु0 1,47,133.00 (रु0 एक लाख सैंतालिस हजार एक सौ तैंतीस मात्र) की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किय गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सूडान से वापस आने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उनके गंतव्य तक भेजे जाने हेतु विभिन्न परिवहन के साधनों में हुए व्यय के सापेक्ष अवशेष रु0 1,47,133.00 (रु0 एक लाख सैंतालिस हजार एक सौ तैंतीस मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023 द्वारा आपदा से प्रभावितों को राहत सहायता वितरित करने के निर्देश एवं मानक दरें निर्धारित की गयी हैं। जनपद उक्त आवंटित धनराशि का वितरण भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के अनुसार दिये गये निर्देशों एवं मानक दरों के आधार पर करेंगे।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (4) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना, व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 1,47,133.00 (रू0 एक लाख सैतालिस हजार एक सौ तैतीस मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)


अनु सचिव।

संख्या-954(1)/एक-10-2025-1 (जी)/2022तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 5- स्थानिक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली।
- 6- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 8- सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 9- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 10- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से



(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

## Allotment Grid Report


वित्तीय वर्ष:-2025-2026  
आवंटन दिनांक-10/10/2025

प्रेषण संख्या:- 954  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-954  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय  
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	गाजियाबाद-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान	147133	147133
		प्रगामी	22719015	22719015
	योग	वर्तमान	147133	147133
		प्रगामी	22719015	22719015

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक लाख सैंतालीस हजार एक सौ तैंतीस  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ सत्ताइस लाख उनीस हजार पन्द्रह

  
(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
(संतोष कुमार)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त कार्यालय  
उत्तर प्रदेश।